कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट, 4 / 172, सिविल लाइन्स, बरेली ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**059 / 10, 14.06.2010**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट, 4 / 172, सिविल लाइन्स, बरेली द्वारा दिनांक 14.06.2010 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह पूछा गया है कि स्कूल एवं कालेजों में कैन्टीन के माध्यम से बच्चों को दिये गये भोजन व स्कूल ड्रेस सप्लाई पर वाणिज्य कर अधिनियम के अन्तर्गत करदेयता बनती है अथवा नहीं ? यदि बनती है तो किस दर से । इसके अतिरिक्त स्कूल / कालेज द्वारा प्रोसपैक्टस व फार्म आदि की बिक्री पर किस दर से करदेयता बनती है ?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 19.03.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली जोन, बरेली द्वारा पत्र संख्या-1228, दिनांक 27.07.2010 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि निजी एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेश फार्म के साथ प्रोसपैक्टस की बिक्री की जाती है जिस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत 4% की दर से करदेयता है । इसी प्रकार कैन्टीन के माध्यम से पके भोजन, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक एवं चाय इत्यादि की बिक्री पर, विद्यार्थियों से पैसे वसूल किय जाने के कारण, संस्थान की करदेयता बनती है जो उत्तर प्रदेश वैट अधिनयम, 2008 के अन्तर्गत 12.5% की दर से करयोग्य है । स्कूल / कालेज के छात्रों को आपूर्ति की गयी ड्रेस इत्यादि पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनयम, 2008 के अन्तर्गत 4% की दर से करदेयता है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रश्नकर्ता '' सर्वश्री श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट '' एक ट्रस्ट है । यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यापार नहीं करते हैं । किसी भी रूप में वणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर नहीं हैं जिसके कारण उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में प्रश्न पूछने के लिए प्राविधानित person or dealer concerned नहीं हैं । अत: प्रश्न पूछने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत पात्र न होने के कारण प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है तथा अस्वीकार किये जाने योग्य है ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली जोन, बरेली द्वारा प्रेषित आख्या व विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में विहित प्राविधानों से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकता है जब तक वह पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से व्यापारिक गतिविधि न कर रहा हो ।

....2

<u>सर्वश्री श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट / प्रा0 पत्र सं0-059 / 10 / धारा-59 / पृष्ठ-2</u>

प्रार्थी सर्वश्री श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट, 4 / 172, सिविल लाइन्स, बरेली द्वारा स्वयं कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जा रही है और न ही वह पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर हैं। ऐसी स्थिति में वह person or dealer concerned नहीं हैं। अत: उक्त ट्रस्ट प्रश्न पूछने के लिए पात्र नहीं है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 28 मार्च, 2014

ह0 / 28.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।